अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े संविधान

हलफनामा उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक स्थिति में होने के बावजूद हिंदुओं के साथ बहुसंख्यक की तरह व्यवहार किया जा रहा है।

अमन सिंह।।

केंद्र सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यह मान लिया कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर विभिन्न समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं। हलफनामा उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक स्थिति में होने के बावजूद हिंदुओं के साथ बहुसंख्यक की तरह व्यवहार किया जा रहा है।

याचिका में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में हिंदुओं की आबादी अन्य समुदायों से कम है। इसके बावजूद वहां उसे अल्पसंख्यक दर्जा हासिल नहीं है। इस वजह से इस समुदाय के लोग अपने शिक्षा संस्थान चलाने जैसे उन अधिकारों से वंचित हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान द्वारा दिए गए हैं। याचिका सबसे पहले 2017 में दायर की गई थी। लेकिन कई कारणों से इस पर सुनवाई अटकती रही। संभवतः मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर सरकार भी इस पर आगे बढ़कर कुछ कहने से बच रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी की सुनवाई के दौरान न केवल केंद्र सरकार की खिंचाई की बल्कि उस पर 7500 रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया था। बहरहाल, अब केंद्र सरकार ने इस मामले में स्थिति साफ करते हुए कह दिया है कि चूंकि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों को भी अपने स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का पूरा अधिकार है।

कई राज्य सरकारें पहले भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करती रही हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार 2016 में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दे चुकी है। ऐसे ही कर्नाटक सरकार तमिल, तेलुगू, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अधिसूचित कर चुकी है। 2002 में टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश दे चुका है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 30 से संबंधित मामलों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जा सकता है। साफ है कि कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के लिहाज से खास जटिलता न होने के बावजूद यह मामला काफी लंबा खिंच गया। इसे और लटकाए रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन समाज, समुदाय और धर्म से जुड़े मामलों में सिर्फ कानूनी पहलुओं तक सीमित नजरिया रखकर आगे बढ़ना कई बार नुकसानदेह साबित होता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस मामले में फूंक–फूंक कर कदम रखना चाहती थी तो उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता।

बल्कि समझदारी का तकाजा यही है कि कानूनी और संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हो जाने के बावजूद संबंधित राज्य सरकारें इस मामले में जल्दबाजी दिखाने के बजाय धीरे–धीरे और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें।

मानवता का संदेश

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। यह कहना गलत है कि वेद केवल आर्यों (हिंदुओं) के लिए है, उन पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का भी है। मानवता का संदेश देने वाले वैदिक धर्म के अलावा दूसरे अन्य धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाये गए। धर्म चलते समय उन्होने अपने को ईश्वर का दूत व ईश्वर पुत्र बताया, ताकि लोग उनका अनुसरण करें। जैसे इस्लाम धर्म पैगंबर मुहम्मद द्वारा, ईसाई धर्म ईसा–मसीह द्वारा और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा आदि। क्योंकि सभी अनुयायियों को धर्म के चलाने वाले पर विश्वास लाना आवश्यक है। अतरू ये धर्म नहीं, मत है। ये सब मत वैज्ञानिक भी नहीं है, जबकि धर्म और विज्ञान का आपस में अभिन्न संबंध है। जहाँ धर्म है वहाँ विज्ञान है।

संपादकीय

जेडीयू की बड़ी चिंता

जेडीयू के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि बिहार में वह अकेले कोई ताकत नहीं है। वह ताकत तभी बनती है जब किसी के साथ होती है। नीतीश कुमार अब तक दो ही स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री हुए हैं– एक जब वह बीजेपी के साथ रहे हैं या फिर जब वह आरजेडी के साथ रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने पर वह बहुत कमजोर साबित हुए हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस चुनाव में उन्हें राज्य की 40 विधानसभा सीटों में से सिर्फ दो पर ही जीत मिल पाई थी। जेडीयू से ज्यादा सीटें आरजेडी को मिली थीं। इस नतीजे ने नीतीश कुमार को आरजेडी के करीब जाने पर मजबूर किया था।

इस गठबंधन के जरिए नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब तो हो गए थे लेकिन चुनाव में वह आरजेडी से कम सीट जीत पाए थे। आरजेडी को भी वह एक बात लगातार चुभ रही थी कि विधायक उसके ज्यादा लेकिन सीएम नीतीश कुमार। अंततः नीतीश कुमार को जब यह लगा कि आरजेडी के साथ उनकी ज्यादा निभ नहीं पाएगी तो उन्होंने बीच कार्यकाल में ही आरजेडी से गठबंधन खत्म कर बीजेपी से रिश्ता बना लिया था। 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में वह फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। अब एक बार फिर जब पर्दे के पीछे से खींचतान शुरू हुई है तो नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि बीजेपी से अलग होना उनके लिए समझदारी वाला कदम नहीं होगा। बीजेपी से अलग होने के बाद उनके पास विकल्प ही क्या होंगे? आरजेडी उनके साथ गठबंधन तो कर सकती है लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी।

बीजेपी के लिए नीतीश का साथ कुछ इसी मिजाज का था। अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि बिहार में उसे किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं रह गई है।

कैसे बदलीं स्थितियां

नदीम पद।।

यह जरूरी नहीं होता है कि हर बात कही ही जाए। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बिना कहे ही महसूस होने लगती हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी कह कुछ नहीं रही है लेकिन नीतीश कुमार वह सब कुछ महसूस कर रहे हैं जो बीजेपी उनसे कहना चाह रही है। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार के पास अब करीब चार दशक का राजनीतिक अनुभव हो चुका है। वह अच्छी तरह से समझते हैं कि राजनीति में कोई किसी दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आता है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए ही कई बार किसी के पीछे चलना होता है। बीजेपी के लिए नीतीश का साथ कुछ इसी मिजाज का था। अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि बिहार में उसे किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं रह गई है।

बीजेपी को यह भी महसूस हो रहा है कि 2020 के चुनाव के वक्त उससे अपनी ताकत पहचानने में चूक हो गई थी। वह बिहार में खुद को जेडीयू से कमजोर समझ रही थी, लेकिन नतीजे आए तो पता चला कि बिहार में बीजेपी खुद ताकत बन चुकी है। उसे मिली जीत को नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली जीत इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि अगर वह जीत नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली होती, तो जेडीयू बीजेपी से पीछे

नहीं रहती। उस चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी। यह बात अलग थी कि बीजेपी चुनाव पूर्व किए अपने वादे पर कायम रही। उसने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। पार्टी नेतृत्व ने तब कहा था कि भले ही हमें जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं लेकिन हम अपने वादे पर कायम रहेंगे और नीतीश कुमार ही एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री होंगे।

नतीजों के वक्त आरजेडी सदन में संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा दल था लेकिन बहुमत से दूर था। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और जेडीयू तीसरे नंबर पर। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी इन सभी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले दिनों वीआईपी के तीन विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी सदन में अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी पार्टी हो जाने के बाद बीजेपी का दबदबा बढ़ना स्वाभाविक है। यहीं से राजनीतिक गलियारों से यह सवाल उठना भी शुरू हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी हो जाने के बावजूद बीजेपी क्या अभी भी नीतीश कुमार को सीएम के रूप स्वीकार करती रहेगी या फिर आने वाले दिनों में कोई बदलाव होगा?

बीजेपी की तरफ से बदलाव की कोई बात नहीं कही गई है, अलबत्ता बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन का यह बयान भी आया कि नीतीश कुमार ही 2025 तक बिहार की एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 'अगर हमें अपना सीएम बनाने की जल्दबाजी होती तो नतीजे आने के बाद ही अपना दावा कर सकते थे, जब बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें आई थीं, लेकिन हम बिहार को दी गई जुबान पर कायम हैं।' मगर राजनीति में वैसा सब कुछ नहीं होता है, जैसा दिख रहा होता है। 'नीतीश कुमार ही 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे' टाइप के बयान ही नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए पर्याप्त हैं। एक तरह से ये बयान नीतीश कुमार को अहसास करा रहे हैं कि आप बीजेपी के रहमोकरम पर मुख्यमंत्री हैं। 70 की उम्र पार कर चुके नीतीश कुमार के लिए यह चुभने वाली बात तो है ही। कभी बीजेपी उनकी जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन अब नेतृत्व करने की स्थिति में आ गई है।

अष्टयोग- 4918

	3		1		2	5
3	32	6	36	2	30	1
	1		5		4	
5	33	1	29	4	30	
	6	5	4		3	2
2	30		32	3	31	7
1	2		7	5	6	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4917 का हल

1	2	3	7	5	6	4
3	29	6	37	2	31	1
4	3	7	1	6	2	5
5	29	1	33	4	37	6
6	1	2	5	7	4	3
2	33	4	31	3	30	7
7	6	5	4	1	3	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

ज्यादा धार्मिक होने का मतलब ज्यादा कट्टर

मोहन। इन कूढ़ मगजों को लगता है कि ज्यादा धार्मिक होने का मतलब ज्यादा कट्टर, ज्यादा अमानवीय, ज्यादा हिंसक और ज्यादा संकुचित होना होता है। इस कारण उन्होंने सच्ची धार्मिकता का प्रदर्शन देशभर में उत्पात मचाकर किया था। ऐसे में अगर दूसरे वर्ग यानी हिंदुओं को उदारवाद का ज्ञान देंगे तो भला कौन मानेगा और क्यों मानेगा? सारी उम्मीदें खो चुका हिंदुओं में एकाध कोई प्रतिकार में ऐसे मुसलमानों के ही रास्ते पर चल पड़ता है तो लिबरल गैंग पूरी दुनिया में ऐक्टिव हो जाता है। तुरंत कहने लगता है– देखो, देखो, मोदी सरकार में हिंदू कट्टर हो गया है, भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है। सोचिए, जब कोई जायरा वसीम यह कहकर ऐक्टिंग का करियर छोड़ सकती है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है तो आम हिंदू क्या सोचेगा? लेकिन, मजाल है कि किसी उदारवादी, नारीवादी ने चूं भी बोला हो कि ऐ जायरा! तुम्हें ऐक्टिंग छोड़नी हो तो छोड़ो, लेकिन ये धर्म–वर्म का ड्राम मत करो।